



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937

No. 220]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015 /CHAITRA 19, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 275(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :-

- (1) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2001 को, जहाँ तक उनका संबंध उपकरण इंजीनियर और परीक्षण इंजीनियर के पदों से है;
- (2) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) सहायक इंजीनियर (उपकरण), समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती नियम, 2003 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक इंजीनियर (उपकरण) के पद से है;
- (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 को, जहाँ तक उनका संबंध निदेशक, ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर और कृषि इंजीनियर के पद से है;

उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया

है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक*	06*(2015)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसन्धिवीय।	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 7600 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।
*कृषि एवं सहकारिता विभाग (मुख्यालय) में नियुक्त होने पर अवलंबी को उप आयुक्त (एम. एण्ड टी.) के पद पर नामित किया जाएगा।	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति के द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति आधार पर। (ii) 50 प्रतिशत अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति आधार पर।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये में ऐसे ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर, जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रैक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के संचालन या मरम्मत या रख-रखाव या बनावट विकास, उत्पादन, प्रशिक्षण और परीक्षण के क्षेत्र में सफलतापूर्वक 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए योग्यता सूची अधिकारियों द्वारा उसी ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तिथि से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,

जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-3, 15,600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600 रुपये

या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हो:

अनिवार्य:

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों से ट्रेक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के संचालन या मरम्मत या रख-रखाव या बनावट विकास या परीक्षण के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष;
2. अपर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य;
3. संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर*	12*(2015)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैण्ड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600 रुपये।	चयन।	40 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
*कृषि एवं सहकारिता विभाग (मुख्यालय) में नियुक्त होने पर अवलंबी को सहायक आयुक्त (एम. एवं टी.) के पद पर नामित किया जाएगा।	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ii) किसी सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में शिक्षण अनुभव सहित ट्रेक्टरों, कृषि मशीनरी और संबद्ध उपकरणों के संचालन और	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हों।	सीधी भर्ती किये गये एवं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये एक	(i) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा;  (ii) 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति के द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती

<p>रख-रखाव का पांच वर्ष का अनुभव; या सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में स्वतंत्र रूप से फार्म मशीनरी और कृषि यंत्रों का परीक्षण तथा संचालन कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीयः</p> <p>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>		वर्ष।	द्वारा।
---	--	-------	---------

(11)

<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये में ऐसे परीक्षण इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये में ऐसे कृषि इंजीनियर जिन्होंने सात वर्ष की उस ग्रेड में नियमित सेवा की हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्रों से ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और सम्बद्ध उपकरणों के संचालन, रख-रखाव, मरम्मत, प्रशिक्षण और परीक्षण का चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए योग्यता सूची अधिकारियों द्वारा उसी ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तिथि से तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 3. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15,600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में सात वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) सीधे भर्ती व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाम केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना.

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.

(12)

(13)

<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग</li> <li>2. अपर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग</li> <li>3. संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग</li> <li>4. निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग</li> </ol> <p>विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p>	<p>प्रत्येक नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>
--	--

1. अपर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- अध्यक्ष;
2. संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य;
3. निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर।	01*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

## (11)

## प्रोन्नति :

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये में ऐसे उपकरण इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

## प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15,600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये में

या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हो:

अनिवार्य:

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उपकरण इंजीनियरिंग में डिग्री;

(ii) स्वचालित मापन और नियंत्रण के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को स्वतंत्र रूप से स्थापित तथा जांच करने की क्षमता और रख-रखाव का पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : स्ट्रेन गेज, साउंड और वाइब्रेशन उपकरणों के संचालन का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कांडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

## (12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1. अपर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- अध्यक्ष;
2. संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य;
3. निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य।

## (13)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. उपकरण इंजीनियर।	2*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसंधितीय।	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये।	चयन।	35 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
--------------------	--	--	---	------	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्य:</p> <p>(क)(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उपकरण इंजीनियरिंग में डिग्री।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रख-रखाव का तीन वर्ष का अनुभव, या</p> <p>(ख)(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उपकरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रख-रखाव का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>आई.सी. ईजन के परीक्षण और निकास उत्सर्जन मापन प्रणाली उपकरण संचालन का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां।</p>	<p>प्रोन्नत और सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति के द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर तथा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>

## (11)

<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये में ऐसे कृषि इंजीनियर (उपकरण) जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 में, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में दो वर्ष सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 में, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर</p>
--

नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	प्रत्येक नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष;
(2) अपर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य;
(3) संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य;
(4) निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य।
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
(1) अपर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- अध्यक्ष;
(2) संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य ;
(3) निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. परीक्षण इंजीनियर।	1*(2015)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये।	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है).  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है).

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री. (2) किसी सरकारी संगठन या विश्वविद्यालय या सूचीबद्ध निजी संगठन में कृषि मशीनरी के परीक्षण और आकलन का तीन वर्ष का अनुभव।  वांछनीय: यंत्रिकृत खेती कार्य में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।  टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।  टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिवितियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वशासी और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर

<p>टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			<p>भरा जा सकेगा— (क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 9300-34800 रुपये में + ग्रेड वेतन 4800 रुपये में या समतुल्य नियमित आधार पर उस पद पर दो वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 9300-34800 रुपये में + ग्रेड वेतन 4600 रुपये में या समतुल्य नियमित आधार पर उस पद पर तीन वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7)के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहर्ताएं हैं।</p>
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे— 1. अपर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य।</p>	<p>प्रत्येक नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>6. कृषि इंजीनियर (उपकरण)।</p>	<p>2*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।</p>	<p>वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये।</p>	<p>चयन।</p>	<p>30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्य: 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उपकरण प्रौद्योगिकी में डिग्री। 2. किसी सरकारी संगठन या सूचीबद्ध निजी संगठन में स्वचालित मापन और नियंत्रण, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरण आदि इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने में निपुणता और रख-रखाव का दो वर्ष का अनुभव।  टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।  टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : नहीं।</p>	<p>प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति के द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।  (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>



## प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (उपकरण), जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्रों से स्वचालित मापन और नियंत्रण, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरण आदि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रख-रखाव का चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषद् या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

- (क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  
(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन बैंड-2 में, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और  
(ख) सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कांडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	सीधी भर्ती करने के लिए तथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(1) संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - अध्यक्ष;	
(2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य;	
(3) अपर आयुक्त (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य;	
(4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य।	
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
(1) संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - अध्यक्ष;	
(2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य;	
(3) अपर आयुक्त (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य;	
(4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य।	

1)	2)	3)	4)	5)	6)
7. कृषि इंजीनियर*	15*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये।	चयन।	30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
*कृषि एवं सहकारिता विभाग (मुख्यालय) में नियुक्त होने पर अवलंबी को सहायक इंजीनियर (एम. एण्ड टी.) के पद पर नामित किया जाएगा।					

7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्यः</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों से कृषि मशीनरी के परीक्षण और आंकलन का दो वर्ष का अनुभव। या</p> <p>(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों से ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रख-रखाव के अनुभव सहित अध्यापन या प्रशिक्षक का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>वांछनीयः यांत्रिक कृषि प्रणाली पर एक वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यता : नहीं।</p>	<p>प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति के द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति आधार पर।</p> <p>(ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक, जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और कृषि मशीनरी के परीक्षण या विस्तार, ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रख-रखाव का सफलतापूर्वक 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 में, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		सीधी भर्ती करने के लिए तथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(1) संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	— अध्यक्ष;	
(2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	— सदस्य;	
(3) अपर आयुक्त (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	— सदस्य;	
(4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	— सदस्य।	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		
(1) संयुक्त सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	— अध्यक्ष;	
(2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	— सदस्य;	
(3) अपर आयुक्त (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	— सदस्य;	
(4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	— सदस्य।	

[फा. सं. 13-3/2012-एम. एवं टी. (प्रशा.)]

बी. बी. भगत, अवर सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE****(Department of Agriculture and Cooperation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2015

**G.S.R. 275(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the,—

- (1) Farm Machinery Training and Testing Institute (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'A' and 'B' Gazetted Post Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Instrumentation Engineer and Test Engineer;
- (2) Farm Machinery Training and Testing Institute (Department of Agriculture and Cooperation) Assistant Engineer (Instrumentation), Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the post of Assistant Engineer (Instrumentation);
- (3) Farm Machinery Training and Testing Institute (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'A' and Group 'B' Gazetted Post Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the posts of Director, Senior Agricultural Engineer and Agricultural Engineer;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director *	6* (2015)	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band -3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 7600.	Selection.
* On posting at DAC [Hq], the incumbent will be designated as Deputy Commissioner (M&T).				
*Subject to variation dependent on workload				

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 50% by promotion failing which by deputation including short -term contract. (ii) 50% by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation /absorption to be made

(11)

#### Promotion:

Senior Agricultural Engineer and Senior Instrumentation Engineer in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 with five years' regular service in the grade and have successfully completed four weeks' training in the field of operation or repair and maintenance or design development, production, training and testing of agricultural equipments and machines, including tractors in the Indian Council of Agricultural Research or in the State Agricultural Universities or in any Krishi Vigyan Kendra.

**Note 1 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post.

**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (Including short- term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations :

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential:

- (i) Post Graduate Degree in Agricultural Engineering or mechanical engineering from a recognised University or institute; and  
(ii) Ten years' experience in the field of operation or repair and maintenance or design development or testing of agricultural equipments and machines, including tractors from any Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

**Note 1:** The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>1 Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman;</p> <p>2 Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member;</p> <p>3 Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation. : Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Agricultural Engineer *	12* (2015). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial.	Pay band 3, Rs. 15600-39100 Plus grade pay of Rs. 6600.	Selection.	<p>Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Five years' experience in operation and maintenance of tractors, agricultural machinery and allied equipments including teaching experience in any Government or private listed organisation; or Five years' experience in handling independently testing and evaluation of farm machinery and agricultural implements in any Government or private listed organisation .</p> <p><b>Desirable:</b> Post Graduate Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or Institute.</p> <p><b>Note1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age : No Educational qualification : Yes.</p>	<p>One year for direct recruits and promotees.</p>	<p>(i) 40% by promotion; (ii) 60% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p>

(11)

**Promotion:-**

Test Engineers in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400 with five years' regular service in the grade, and Agricultural Engineer in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 with seven years' regular service in the grade and have successfully completed four weeks of training in operation, maintenance, repair, training and testing of tractors, agricultural machinery and allied equipments from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras.

**Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

**Deputation (including short-term contract) :**

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutes or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3 Rs.15600-39100 and grade pay of Rs.5400 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 of Rs. 9300-34800, and grade pay of Rs.4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**

- |   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| 1 | Chairman or Member, Union Public Service Commission   | : | Chairman; |
| 2 | Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation          | : | Member;   |
| 3 | Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation               | : | Member;   |
| 4 | Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation. | : | Member;   |

**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:**

- |   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| 1 | Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation          | : | Chairman; |
| 2 | Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation               | : | Member;   |
| 3 | Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation. | : | Member.   |

(13)

Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Instrumentation Engineer	01* (2015). * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band -3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600.	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

(11)
<p><b>Promotion:-</b> Instrumentation Engineer in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400 with five years' regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation (Including short-term contract):-</b></p> <p>Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations :</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised University or institution. (ii) Five years' experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls.</p> <p><b>Desirable:</b>Two years' experience in handling strain gauges, sound and vibration equipment.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3 :</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>

(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <p>1 Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Chairman;</p> <p>2 Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member;</p> <p>3 Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Instrumentation Engineer.	2* (2015). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial.	Pay Band- 3 , Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400.	Selection.	<p>Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti</p>

					districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(A) (i) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institution. (ii) Three years' experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(B) (i) Masters' degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institute; (ii) One year experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment, etc., from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.</p> <p><b>Desirable:</b> One year experience in instrumentation for testing of IC Engines and exhaust emission measurement system.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age:- No.</p> <p>Educational Qualifications: Yes.</p>	<p>Two years for direct recruits and promotees.</p>	<p>(i) 50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment; (ii) 50% by direct recruitment.</p>

(11)
<p><b>Promotion:</b> Agricultural Engineer (Instrumentation) in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 with three years' regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation (including short term contract) :</b></p> <p>Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations :</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2 :</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3 :</b>For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date</p>



from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman;</li> <li>2. Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member;</li> <li>3. Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member;</li> <li>4. Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member.</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Chairman;</li> <li>Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member;</li> <li>3. Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasi.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Test Engineer.	1* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial.	Pay band 3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400.	Not applicable.	<p>Not exceeding 35 years. (Relaxable for government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangti Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Degree in Agricultural Engineering of a recognised university.</li> <li>(2) Three years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from any Government organisation or university or private listed organisation.</li> </ol> <p><b>Desirable:</b> Two years' practical experience of mechanised farming practices.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	One year.	<p>By direct recruitment.</p> <p><b>Note:-</b> Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government or State governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) (i) Holding analogous post on a regular basis; or</li> <li>(ii) with two years' regular service in posts in the pay band-2 of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent; or</li> <li>(iii) with three years' regular service in posts in the pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent; and</li> </ol> <p>(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation : Chairman; 2. Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation : Member; 3. Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and Cooperation : Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Agricultural Engineer (Instrumentation)	2* (2015). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-ministerial.	Pay band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential:</b> 1. Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Technology from a recognised university or institute. 2. Two years' experience in the installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from any government or private (listed) organisations.  <b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No. Educational qualifications: No.	Two years for direct recruits.	(i)50% by promotion failing which by deputation (including short term contract); (ii)50% by direct recruitment.

(11)
<b>Promotion:</b> Senior Technical Assistant (Instrumentation) in pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200 with five years' regular service in the grade and have successfully completed four weeks' training in installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, handling strain gauge, sound and vibration equipment from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras. <b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. <b>Deputation (including short term contract):</b> Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). <b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment

on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion ) consisting of:-</b></p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p><b>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>7. Agricultural Engineer *</p> <p>*On posting at DAC (Hq), the incumbent will be designated as Assistant Engineer (M&amp;T).</p>	<p>15* (2015)</p> <p>* Subject to variation dependent on workload.</p>	<p>General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-ministerial.</p>	<p>Pay Band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs.4600.</p>	<p>Selection.</p>	<p>Not exceeding 30 years. (Relaxable upto 5 years for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering of a recognised University.</p> <p>(ii) Two years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(iii) Two years' experience of teaching or as a trainer, including experience in operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery, the experience sought is to be from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>One year practical experience of mechanised farming practices.</p>	<p>Age: No Educational qualifications : No.</p>	<p>Two years for direct recruits.</p>	<p>(i) 60% by promotion failing which by deputation including short term contract;</p> <p>(ii) 40% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p>

<p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable, for reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
---	--	--	--

(11)	
<p><b>Promotion:</b> Senior Technical Assistant with five years' regular service in the pay band-2, Rs 9300-34800 with grade pay of Rs.4200 and have successfully completed four weeks' training in testing or development of agricultural machinery, operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery.</p> <p><b>Note 1:</b> Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation (including short term contact):</b> Officers under the Central Government or state government or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band -2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2 :</b> Period of deputation (including short term contact) including period of deputation (including short term contact ) in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contact) should not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3 :</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).</p>

[F. No. 13-3/2012-M&amp;T (Admn.)]

B.B. BHAGAT, Under Secy.